



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09082023-247931
CG-DL-E-09082023-247931

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3395]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 8, 2023/श्रावण 17, 1945

No. 3395]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 8, 2023/SHRAVANA 17, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2023

का.आ. 3548(अ).—केन्द्रीय सरकार, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 49 च की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वन्य प्राणी और वनस्पति की संकटापन्न जातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अभिसमय के अधीन कृत्यों को पूरा करने के लिए, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अध्याय 5 ख के प्रयोजनों के लिए वैज्ञानिक प्राधिकरण के रूप में निम्नलिखित संस्थानों को अभिहित करती है, अर्थात् : -

1. भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता ;
2. केन्द्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान, कोची ;
3. वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून ;
4. वन आनुवंशिकी और वृक्ष प्रजनन संस्थान, कोयंबतूर ;
5. वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहाट ;
6. भारतीय वन्यजीव अनुसंधान संस्थान, देहरादून ;
7. भारतीय प्राणि सर्वेक्षण, कोलकाता ;

8. राष्ट्रीय सतत तटीय प्रवंधन केन्द्र, चेन्नई ;
9. समुद्री जीवन संस्थान और पारिस्थितिकी केन्द्र, कोची ;
10. शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर ;
11. काष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, बैंगलुरु ;
12. हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, शिमला ;
13. ऊण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर ;
14. कोशिकीय एवं आणविक जीवविज्ञान केन्द्र, हैदराबाद ;
15. भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली ;
16. भारतीय मात्स्यकी सर्वेक्षण, मुंबई ;
17. राष्ट्रीय पापद जीनोम अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली ;
18. भारतीय विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान, लखनऊ ;
19. टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, मुंबई ;
20. केन्द्रीय औषधीय एवं संग्राह पौधा संस्थान, लखनऊ ;
21. राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, लखनऊ ;
22. हिमालय जैवसंपदा प्रौद्योगिकी संस्थान, पालमपुर ; और
23. केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली ;

[फा. सं. डब्ल्यू एल-1/9/2023-डब्ल्यूएल-भाग(1)]

विभाष रंजन, अपर वन महानिदेशक (डब्ल्यूएल)

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 8th August, 2023

S.O. 3548(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 49F of the Wild Life (Protection) Act, 1972, the Central Government hereby designates the following institutes as Scientific Authority for the purposes of Chapter VB of the Wild Life (Protection) Act, 1972, for fulfilling the functions under the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, namely:-

1. Botanical Survey of India, Kolkata;
2. Central Marine Fisheries Research Institute, Kochi;
3. Forest Research Institute, Dehradun;
4. Institute of Forest Genetics and Tree Breeding, Coimbatore;
5. Rain Forest Research Institute, Jorhat;
6. Wildlife Institute of India, Dehradun;
7. Zoological Survey of India, Kolkata;
8. National Centre for Sustainable Coastal Management, Chennai;

9. Centre for Marine Living Resources & Ecology, Kochi;
10. Arid Forest Research Institute, Jodhpur;
11. Institute of Wood Science & Technology, Bangalore;
12. Himalayan Forest Research Institute, Shimla;
13. Tropical Forest Research Institute, Jabalpur;
14. Centre for Cellular & Molecular Biology, Hyderabad;
15. Indian Veterinary Research Institute, Bareilly;
16. Fishery Survey of India, Mumbai;
17. National Institute of Plant Genome Research, New Delhi;
18. Indian Institute of Toxicology Research, Lucknow;
19. Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai;
20. Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants (CIMAP), Lucknow;
21. National Botanical Research Institute, Lucknow;
22. Institute of Himalayan Bioresource Technology, Palampur; and
23. Central Zoo Authority, New Delhi.

[F. No. WL-1/9/2023-WL-Part (1)]

BIVASH RANJAN, Addl. Director General of Forests (WL)